झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0—(शि0)—सरायकेला—खरसावाँ / PDS—24 / 2022— 49

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः—16 / 01 / 2023

विषयः— **श्री रमेश हांसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), बाघराइसाई, पो0—गोविन्दपुर, थाना—राजनगर, जिला—सरायकेला—खरसावाँ से प्राप्त शिकायत—पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि श्री रमेश हांसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), बाघराइसाई, पो0—गोविन्दपुर, थाना—राजनगर, जिला—सरायकेला—खरसावाँ का शिकायत—पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। जिसमें सरायकेला—खरसावाँ जिले में NFSA एवं PMGKAY के तहत् मिलने वाला माह दिसम्बर, 2022 एवं माह जनवरी, 2023 का राशन वितरण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत—पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/1/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx266

रमेश हांसदा
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य
भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा)
मो०–9431374481, 7903176110

भारतीय जनता पार्टी

पत्रांक : .... दिनांक : 11/01/23

M.S. [illegible] 11/01/[illegible]

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
रांची

विषय :- सराइकेला-खरसेवा जिला में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में

श्री विनोद [illegible] 11/01/23

महाशय,

झारखण्ड एक आदिवासी बहुल राज्य में मकर संक्रांति टुसू पर्व की एक अपनी अहमियत है। लोग काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परन्तु दुर्भाग्य है हमारे जिला का (सराइकेला) कि अभी तक NFSA और PMGKAY से मिलने वाली राशन दिसम्बर और जनवरी का वितरण नहीं किया गया है। गरीब लोग इस पर्व में अनाज से वंचित हो रहे हैं। 15 जनवरी तक बांटने का निर्देश विभाग ने दिया है। इससे पहले भी जून 22 में जानबूझ कर राशन विलम्ब से दिया गया। महोदय राशन विलम्ब से देने से कालाबाजारी की पूरी आशंका रहती है। हमें लगता है कि घोटाला करने के लिए विलम्ब किया जाता है। महोदय से आग्रह है कि स्वतंत्र रूप से इसकी जांच कर कार्यवाही करें।

आपका,
[signature]

आवास : बाघराइसाई, पो० – गोविन्दपुर, थाना – राजनगर, जिला – सरायकेला खरसांवा, झारखंड